

फारम-VIII-क

कार्यालय नगर परिषद फुलवारी शरीफ

भवन की योजना के अनुमोदन

उपविधि संख्या-8(4)

आपके आवेदन संख्या-2332001270003 के संदर्भ में

श्री 0 वसीम 510 स्व 0 श्री 0 नयीरुद्दीन

- (क) आवासीय भवन के निर्माण। श्री 0 वसीम
- (ख) व्यवसायिक भवन के निर्माण।
- (ग) भवन के पुनःनिर्माण।
- (घ) विद्यमान भवन में परिवर्तन या परिवर्धन।
- (ङ) भवन के उपयोग में परिवर्तन।

हेतु नगर परिषद फुलवारी शरीफ क्षेत्र बिहार शहरी आयोजना तथा विकास अधिनियम, 2012 के अधीन स्कीम के ...
 प्लॉट नं०-194, खाता नं०-878, तौजी नं०-5247 थाना
 नं०-35 मौजा-फुलवारी शरीफ थाना-फुलवारी जिला-पटना के बाबत निम्नलिखित
 शर्तों/निर्वधनों के अध्याधीन एतद् द्वारा भवन योजना जिसका प्लान क्रम नं०-18-18 है,
 जिसका निर्माण क्षेत्रफल 654.94 m²

वर्गमीटर एवं 9.43 की स्वीकृति दी जाती है :-

- (क) भूमि/भवन का उपयोग अनन्य रूप से आवासीय प्रयोजन के लिए किया जाएगा और इस प्राधिकार के पूर्व अनुमोदन के बिना उपयोगों को किसी अन्य उपयोग के लिए परिवर्तित नहीं किया जाएगा।
- (ख) विकास पूर्ण रूप से आवश्यक अनुमति के पृष्ठानकन के साथ संलग्न योजनाओं के अनुसार किया जाएगा।



अनुमोदित योजना में दर्शाया गया 164.48 वर्गमीटर का पार्किंग का स्थान खुला रखा जाएगा और इसके किसी भाग पर निर्माण नहीं किया जाएगा।

अनुमोदित निर्माण वाली भूमि 9.14 मी० चौड़ाई के अनुमोदित पहुंच मार्ग के माध्यम से सुगम्य होगी।

पश्चात् भूमि आवेदक के विधिपूर्ण स्वामित्व एवं शांतिपूर्ण कब्जा में अवश्य हो।

- (ग) सड़क को मानक चौड़ाई तक और चौड़ी करने के लिए आवेदक, विभिन्न विकास योजना/आयोजन प्राधिकारों/या बिहार शहरी आयोजन तथा विकास अधिनियम, 2012 के अधीन अधिसूचित किसी योजना स्कीम के अधीन आच्छादित सुसंगत आयोजन प्राधिकार क्षेत्रों के अधिनस्थ नगर परिषद फुलवारी शरीफ आयोजना क्षेत्र में वर्गमीटर चौड़ी भूमि की पट्टी उक्त उपहार के रूप में देगा।
- (घ) अनुमति (अनुज्ञा) जारी किए जाने की तारीख से तीन वर्षों की अवधि के लिए विधिमान्य होगी।
- (ज) इस उपबंध के अधीन दी गई अनुमति को उस भूखण्ड, जिसके लिए योजना अनुमोदित की गई हो, के अधिकार, हक, हित बाबत साक्ष्य नहीं मानी जाएगी।
- (झ) योजना के अनुमोदन के पश्चात् भू-अभिलेख के कारण या अधिकार/हक/हित की बाबत कोई विवाद होने पर विवाद की अवधि के दौरान योजना का अनुमोदन स्वतः रद्द समझी जायेगी।
- (ञ) बिहार भू-सम्पदा (विनियमन और विकास) नियमावली (RERA), 2017 की शर्तों के अधीन राज्य में गठित भू-सम्पदा विनियमन प्राधिकरण से इस परियोजना का निबंधन कराना अनिवार्य होगा।
- (ट) भू-स्वामित्व एवं नक्शा से संबंधित समस्त दस्तावेजों/कागजात के सत्यापन की जिम्मेवारी आवेदक की है। भविष्य में इसमें किसी प्रकार की त्रुटि/हेर-फेर/कपटपूर्ण रचना पाये जाने पर नक्शा अस्वीकृत किये जाने के साथ आवेदक के विरुद्ध विधि-सम्मत कार्रवाई की जायेगी।

- (क) भवन का निर्माण स्वीकृत नक्शे के अनुरूप ही किये जायें, भविष्य में किसी भी प्रकार के अनियमितता/विचलन पाये जाने की स्थिति में सम्पूर्ण जवाबदेही आवेदक की होगी एवं विधिसम्मत कार्रवाई के पात्र होंगे।
- (ख) Environmental Protection Act. के तहत बहुमंजिले भवन के निर्माण के दौरान ढक कर निर्माण किया जाना अनिवार्य होगा।
- (ग) ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम (Solid Waste Management Rules), 2017 के अंतर्गत शेल्टर फण्ड की राशि जमा करने के उपरांत ही भवन का निर्माण करना होगा।
- (घ) अफोर्डेबल हाउसिंग एण्ड स्लम रिहैबिलिटेशन एवं रिडेवलपमेन्ट हाउसिंग पॉलिसी, 2017 के अंतर्गत शेल्टर फण्ड की राशि जमा करने के उपरांत ही भवन का निर्माण करना होगा।
- (च) अन्य शर्त।

बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 एवं बिहार भवन उपविधि, 2014 के संगत प्रावधानों का अक्षरसः अनुपालन करते हुये भवन निर्माण किया जायेगा।

प्रभारी लिपिक प्रधान लिपिक कनीय अभियंता सहायक अभियंता नगर कार्यपालक पदाधिकारी
 नगर परिषद फुलवारी शरीफ

ज्ञापांक : 6172/दिनांक : 10.07.2020

प्रतिलिपि :- मेसर्स/श्री/श्रीमति, श्री० जयशंकर शं० सह० श्री० नरसिंह शर्मा
 पता- अमा सुनील वाठ मोठ्कीम, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।
फुलवारी शरीफ, पटना

नगर कार्यपालक पदाधिकारी
 नगर परिषद फुलवारी शरीफ

